न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/43
मिसलनम्बर– 19 / 2022

1.नाथूलाल महावर पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 79 वर्ष जाति महावर निवासी चैतन्य हनुमान मंदिर के सामने जगदीश होटल के पास लाडपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.श्यामलाल पुत्र श्री नाथूलाल महावर
2.श्रीमती पूनम उर्फ पूर्णा देवी पत्नी श्री श्यामलाल निवासीगण जे–12 पंचवटी नगर पुलिस थाने के सामने कुन्हाड़ी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 21/11/24

उपस्थितिः–

1.श्री मनोज चंचौदिया प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री आशोक कुमार गुप्ता अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एक शांतिप्रिय वृद्ध एवं पेंशनर वरिष्ठ नागरिक है, जो चैतन्य हनुमान मंदिर के सामने, जगदीश होटल के पास, लाड़पुरा, कोटा (राज0) में स्थायी एवं विगत 20 वर्षों से अधिक समय से निवास करता चला आ रहा है। अप्रार्थी नं 1 प्रार्थी का छोटा पुत्र है एवं अप्रार्थी नं 2 अप्रार्थी नं, 1 की पत्नी तथा प्रार्थी की पुत्रवधु हैं तथा प्रार्थी का बड़ रामदेव एवं पुत्रवधू संगीता है, उक्त सभी उपरोक्त निवास स्थान पर संयुक्त रूप से निवास करते चले आ रहे थे, किन्तु बढते परिवार को देखते हुए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नं. 1 व 2 को अपने स्वअर्जित आय से निर्मित कुन्हाड़ी, कोटा स्थित मकान में बतौर लाइसेंसी निवास करने हेतु दिया गया। प्रार्थी की स्वअर्जित का एक प्लाट जे–12 पैमाईश 205.83 वर्गगज वाके पंचवटी नगर, पुलिस थाने के सामने, कुन्हाड़ी, कोटा (राज०) में स्थित है, जो कि प्रार्थी को नगर विकास न्यास, कोटा से जरिये आवंटन पत्र क्रमांक 8744 दिनांक 17.08.15 को आवंटित किया गया था, जिसका पंजीयन भी प्रार्थी के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय, कोटा की पुस्तक संख्या 1, जिल्द सख्या 1317, पृष्ठ सख्या 10, क्रम संख्या 2015005599 पर दिनांक 16.09.15 को पंजीबद्ध हो रहा है। जिस पर प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय से मकान का निर्माण करवाया तथा अप्रार्थी नं. 1 जो कि अपने सर्विस हेतु अधिकतर समय कोटा से बाहर रहता है, इसलिए प्रार्थी उक्त मकान को अप्रार्थी नं. 1 व 2 को निवास करने हेतु बतौर लाइसेसी सुपुर्द किया था, कुछ समय तक तो अप्रार्थीगण का व्यवहार प्रार्थी एवं उनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी बाई के प्रति

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

व्यवहार सही रहा और प्रार्थी की पत्नी जो लाड़पुरा, कोटा स्थित मकान में निवास करती है उन्हें अप्रार्थी नं. 1 जब भी छुट्टियों में कोटा आता तो अपने साथ कुन्हाड़ी, कोटा निवास करने हेतु ले जाते तथा छुट्टियाँ खत्म होने पर अप्रार्थी नं. 1 तो पुनः अपनी सर्विस हेतु बाहर चले जाता किन्तु अप्रार्थी नं. 2 द्वारा प्रार्थी की पत्नी के साथ करूर एवं अभद्र व्यवहार किया जाता, समय पर दवा–दारू, देखभाल, खाने–पीने की व्यवस्था नहीं की जाती और सम्पूर्ण घर का कार्य नौकरानी की तरह प्रार्थी की पत्नी से करवाया जाता तथा कई बार घर से धक्का देकर एवं मारपीट कर बाहर निकाल दिया गया जिसके संताप में प्रार्थी की पत्नी श्रीमती कल्याणी बाई का दिनांक 16.08.20 को स्वर्गवास हो गया। इसके बाद दिनांक 12.06.21 को अप्रार्थीगण प्रार्थी के निवास स्थान लाडपुरा आये और उक्त मकान नं. जे–12, कुन्हाड़ी, कोटा पर कब्जा करने की नियत से मकान के कागजात प्रार्थी से मांगे प्रार्थी द्वारा इन्कार किये जाने पर अप्रार्थी न. 1 ने शराब पीकर एवं अप्रार्थी नं. 2 ने प्रार्थी एवं उसके बड़े पुत्र रामदेव एवं उनकी पुत्रवधू के साथ भद्दे–भद्दे शब्दों का प्रयोग कर गाली – गलौच की गई तथा मकान के दस्तावेज नहीं दिये जाने पर प्रार्थी एवं उसके बड़े पुत्र रामदेव के साथ हाथापाई करने लगे और जबरदस्ती मकान में घुसकर उक्त मकान के दस्तावेजों की फोटोप्रतियों को छीनकर ले गये और जाते–जाते अप्रार्थी नं. 2 ने धमकी दी कि उक्त मकान प्रार्थी को अप्रार्थीगण के नाम करना होगा अन्यथा अप्रार्थी नं. 2 किसी भी दिन स्वयं के कपड़े फाड़कर झूठे केसो में फसाने तथा एवं आत्महत्या करने हेतु उकसाने के केसों में फंसा देने की धमकी देकर गयी। प्रार्थी अप्रार्थीगण के उक्त व्यवहार से काफी गहरे मानसिक संताप में आ गया है और अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य अत्यधिक भयभीत एवं मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गया है। इससे पूर्व में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया था, जिसके बाबत् प्रार्थी द्वारा वर्ष 2014 में पुलिस थाना कुन्हाड़ी, कोटा में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा माफी मांगते हुए समझौता कर लिया था और पुनः ऐसा कोई कृत्य न करने का आश्वासन भी प्रार्थी को दिया था। प्रार्थी एक वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है अप्रार्थीगण का दायित्व बनता है कि वह अपने पिता एवं पिता तुल्य ससुर की सेवा–सुश्रुषा करे, उनका समय पर ईलाज करावे, उनके खाने–पीने का ध्यान रखे उनके साथ विनम्र व्यवहार रखे किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और उल्टा प्रार्थी की स्वअर्जित आय से बनाई गई सम्पत्ति को जबरदस्ती ताकत एवं झूठे मिथ्या केसों मे फसाने की धमकियाँ देकर हड़पने की कोशिश की जा रही है। जिसको कि अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है इस बाबत् प्रार्थी ने दिनांक 25.10.21 को अप्रार्थीगण का अपने स्वअर्जित आय के मकान नं. जे– 12, पंचवटी नगर, कुन्हाड़ी थाने के सामने, कोटा (राज0) के लाइसेंस निरस्त करते हुए अपने अधिवक्ता के जरिये अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया था, जिसका जवाब अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.10.21 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया। इतना होने के पश्चात भी प्रार्थी ने विवाद को समाप्त करने हेतु अप्रार्थी नं. 1 एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष समझौतें के लिए मिटिंग की गई, किन्तु अप्रार्थी नं. 1 अपनी जिद पर अड़ा रहा और अप्रार्थी नं. 1 द्वारा प्रार्थी को समझौता वार्ता के समय समाज के गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष भी काफी बेइज्जत कर अपमानित किया और प्रार्थी को धमकी दी कि तुमसे जो बन पड़े वो कर लो मकान को मैं खाली नहीं करूंगा और लाडपुरा, कोटा स्थित मकान में से भी तुम सबको (प्रार्थी एवं उसके बड़े पुत्र के परिवार को) मारपीट कर बाहर निकालकर कब्जा कर लूगां और तुम्हें झूठे केसों में फंसाकर जेल में सड़ा दूंगा, जैसे–तैसे वहां उपस्थिति व्यक्तियों द्वारा समझाईश कराई गई और प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं.

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

1 को वहां से रूख्सत किया, इस प्रकार समझौता मिटिंग असफल रही। उक्त घटना के पश्चात प्रार्थी और अधिक भयभीत हो गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 26.12.21 को एक आमसूचना दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दी गई, जिसका प्रकाशन दिनांक 29.12.21 के कोटा संस्करण में प्रकाशित की गई, जिसके तहत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अपनी जात–जायदाद से बेदखल कर दिया। उक्त सूचना के पश्चात अप्रार्थीगण और अधिक कूर हो गये और प्रार्थी को फोन आदि पर धमकियाँ दे रहे है तथा झूठे केसों में फंसाने हेतु प्रार्थी को धमकाया जा रहा है इसलिए प्रार्थी को यह अन्देशा हो गया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना कारित कर सकते है, इसलिए प्रार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष पह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी की सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति बेदखल करने के आदेश प्रदान करे तथा प्रार्थी एवं उसके बड़े पुत्र रामदेव एवं पुत्रवधु संगीता तथा उनके बच्चों को अप्रार्थीगण से जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र सीनियर सीटीजन एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व वाले मकान का खाली कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया गया है तथा उपरोक्त आवेदन में अप्रार्थीगण को तथाकथित रूप से बतौर लाइसैंसी बतलाने का प्रयास किया गया है तथा बतौर लाइसैसी बतलाते हुए नोटिस भी देने का कथन किया है तथा किसी भी मालिक के विरूद्ध कोई रिलीफ चाहने हेतु उसके लिए दिवानी कानून के तहत दीवानी वाद पत्र पेश करना चाहिए था लेकिन प्रार्थी ने सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उपरोक्त आवेदन पेश किया है तथा उपरोक्त एक्ट में कहीं पर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि स्वामी के विरूद्ध वरिष्ठ नागरकि अधिनियम के तहत बेदखल करने का आदेश प्राप्त कर सके। इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है तथा खारिज किया जावे। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र मे अपने बड़े पुत्र रामदेव तथा पुत्रवधु संगीता तथा बच्चों की जान माल की सुरक्षा करने की भी प्रार्थना चाही गई है तथा दोनों ही पुत्र एवं पूत्रवधु वरिष्ठ नागरिक नही है। इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है तथा सारहीन है तथा खारिज किया जावे। प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र मेहज अप्रार्थीगण को प्रेसराईज्ड करने तथा अपने बड़े पुत्र रामदेव तथा उसकी पत्नि संगीता के बहकावे में आकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तथा प्रार्थी के भाई का एक पुश्तैनी एवं संयुक्त मकान जो कि जगदीश होटल के पास लाडपुरा कोटा में स्थित है तथा प्रार्थी के भाई के पुत्रों से प्रार्थी का 4,75,.000/–रूपये बकाया था, और वह देना था इस पर अप्रार्थी क्रम–1 ने 3,80,000/–रूपये प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी को उसके भाई के पुत्रों को चुकाने बाबत दिये तथा शेष राशि 95,000/–रूपये प्रार्थी को मिलाने थे लेकिन प्रार्थी ने रामदेव के भड़कावे में आकर अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा दी गई 3,80,000/–रूपये की राशि अपने भाई के पुत्रों को अदा नहीं की बल्कि उपरोक्त लाडपुरा स्थित मकान में लगा दी तथा अब और राशि प्राप्त करने के आशय से दबाव स्वरूप रामदेव एवं संगीता के कहने पर यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी से पेश करवाया है जो सारहीन है तथा खारिज किया जावे। प्रार्थी पी. डब्ल्यू डी में कारपेंटर के पद से सेवानिवृत हुआ है ओर उसे 25,000/–रूपये मासिक पेंशन मिलती है जिसे भी रामदेव एवं संगीता हर महिने प्राप्त करके उड़ा देते है तथा अब यह अप्रार्थीगण के कब्जे वाली सम्पत्ति पर भी कब्जा करने का आशय रखते है इसलिए झूठे तथ्यों पर यह

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र प्रार्थी से दबाव स्वरूप पेश करवा दिया जावे सारहीन है तथा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी क्रम–1 की माता कल्याणी बाई ने अपने जीवनकाल में अपनी पौत्री अर्थात अप्रार्थीगण की पुत्री के लिए सोने के जैवरात, सोने का हार कान के तथा चेन बनाई थी, जिन्हें भी रामदेव एवं संगीता ने अपने पास रख रखे हैं और नहीं देने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी से प्रस्तुत करवाया है। प्रार्थी ने एक दिवानी वाद भी सिविल न्यायालय पेश कर रखा है इसलिए दो न्यायालयों में वाद पोषणीय नही है इसलिए खारिज फरमाया जावें। उपरोक्त भूखण्ड संख्या जे–12 का निर्माण अप्रार्थी क्रम–1 ने अपनी स्वअर्जित आय से वर्ष 2011 से लगायत 2013 के मध्य निर्मित करवाया है जिसमें अप्रार्थी क्रम–1 की 15 लाख रूपये की पूंजी लगी तथा अप्रार्थी कम–1 उपरोक्त भूखण्ड पर निर्माण कराते समय निर्माण सामग्री स्वयं की राशि से कय की थी। जिसका प्रमाण बतौर साम्रगी के खरीद के बिल तथा अप्रार्थी कम–1 ने अपने ही ठेकेदार जीतू बंजारा, देवनारायण, रमेश एवं राजेन्द्र तथा अन्य के द्वारा अलग–अलग कार्य निर्माण बाबत करवाया गया था। जिसका एग्रीमेंट/लिखा पढ़ी भी वर्ष 2013 का अप्रार्थी कम–1 के पास मौजूद है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूखण्ड संख्या– 12 में संपूर्ण निर्माण कार्य अप्रार्थी कम–1 ने अपनी 15 लाख रूपये की पूंजी लगाकर करवाया है। इसलिए प्रार्थी का यह कहना है कि उसके द्वारा मकान निर्मित करवाया मिथ्या है। अप्रार्थीगण मकान नम्बर जे–12 कुन्हाड़ी कोटा मे अपने वैद्य अधिकार से निवासरत है। चुंकि उपरोक्त मकान को अप्रार्थी क्रम–1 के द्वारा 15 लाख रू० की राशि लगाकर वर्ष 2011 से 2013 के बीच निर्मित करवाया है। अप्रार्थीगण ने कभी भी कोई क्रुरतापूर्ण व्यवहार प्रार्थी से नहीं किया और ना ही कोई फोन पर धमकियां दी और ना ही झूठे केसों में फसाने के लिए कहा तथा प्रार्थी ने मात्र रामदेव एवं संगीता के भड़कावे में आकर यह आवेदन पेश किया है जो खारिज किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की ओर से अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। बाद अवलोकन यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद माननीय न्यायालय सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 1 दक्षिण कोटा में घोषणा, बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया हुआ है। प्रार्थी ने एक दिवानी वाद भी सिविल न्यायालय पेश कर रखा है इसलिए दो न्यायालयों में वाद पोषणीय नही है। जिस कारण हम प्रार्थी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 21/11/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा